

## दहेज लोभियों को तीन वर्ष का साधारण कारावास

**आर्से, आधरसी :** दहेज के लिए विवाहित से मारपीट करने के मामले में तीन दोषियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साढ़े तीन-तीन हजार रुपये का अर्धदंड भी लगाया है। अर्धदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भूलता होगा। अभियोजन अधिकारी अनुल द्विवेदी ने बताया कि 14 अगस्त 2000 को सुरेश्वर प्रसाद की पुत्री अनीता को

सारणीपुरवा निवासी समुराल के लोगों ने मारपीट कर समुराल से भ्राता दिया था। पिता की तहरीर पर गिलीला थाने में उदयराज, कृष्णराम व मीना के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने तीनों आरोपितों उदयराज, कृष्णराम व मीना की दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

## छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष का साधारण कारावास

**संसू, आठरसी :** छेड़छाड़ के मामले में दोषी को न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली ने तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्धदंड भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी अनुल द्विवेदी ने बताया कि 27 मार्च 2005 को एक गांव में घर में घुसकर अरोपित गंगराम उर्फ बाजुर ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर गिलीला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है।

**छहराइव मारपीट के दोषी को साधारण कारावास: अभियोजन अधिकारी अनुल द्विवेदी ने बताया कि विमगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युक्ति 16 अप्रैल 1996 को अस्पताल से घर जा रही थी। रास्ते में वेद लाल उर्फ भेदलाल उर्फ लूले ने उसके साथ छेड़छाड़ कर मारपीट की। पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद अरोप पत्र न्यायालय पर प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शारिरक अली ने आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास से बहित किया है। एक हजार रुपये का अर्धदंड भी लगाया है।**

## मारपीट के आरोपी को दो वर्ष की सजा

**आवस्ती ।** न्यायालय की ओर से आपरेशन कनविवशन अभियान बलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शुक्रवार को न्यायालय की ओर से कोतवाली भिनगा के बदनकुटी निवासी बेदलाल उर्फ भेदलाल उर्फ लूले पुत्र सुख नदन को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपये जुमाने की सजा सुनाई गई है। 28 साल पहले वर्ष 1996 में आरोपी पर एक महिला ने अस्पताल से आते समय छेड़छाड़ करने तबा मारने पीटने का आरोप लगाया था।

## तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

**आवस्ती ।** थाना गिलीला पुलिस ने अधियुक्त इयाम किशोर पुत्र कुलचंद निवासी रायझौह थाना परगामपुर जनपद बहराइव को एक अदान नाजायज तमचा 12 बोर व दो अदान जिदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर थाना गिलीला में शास्त्र अधिनियम का अभियोग दर्ज करके जेल रखाना कर दिया गया है।

## 31 लीटर कच्ची शराब के साथ तीन गिरफ्तार

**आवस्ती ।** थाना मल्हीपुर पुलिस ने ननकांडा पुत्र कृष्णराम निवासी गडीरा थाना कोतवाली भिनगा और पारसनाथ उर्फ परम्पुराम पुत्र व्यारे निवासी केवटन पुरुष थाना मल्हीपुर को 15 लीटर व 16 लीटर नाजायज कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों पर मल्हीपुर थाना में आवकारी अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है।

## जनता दर्शन में एसपी ने सुनीं जन समस्याएं

**आवस्ती ।** पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने जनता दर्शन में आए करियादियों की समस्याएं सुनीं। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की समस्या को सुनकर संबोधित थाना प्रभारी को तत्काल निराकरण के लिए निर्दीशित किया। इस दौरान कुल 20 प्रार्थना मिले। जिसमें छह भूमि विकाद, चार पारिवारिक विवाद व 10 अन्य विवाद से संबोधित थे।

## चार वारण्टी गिरफ्तार

**आवस्ती ।** पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देश के क्रम में पुलिस ने चार वारण्टीयों को गिरफ्तार कर न्यायालय रदाना कर दिया है। पकड़े गए लोगों में बन्दजाती पुत्र रामबांग, सतोष उर्फ ननके पुत्र रामधनी निवासी गाम बेलरी थाना मल्हीपुर, अफसर खां पुत्र यार मोहम्मद खान तथा साविर खान पुत्र भूलन थाना निवासीयों लरदासपुर्या दारिकला खांवा कला थाना मल्हीपुर शामिल हैं। पकड़े गए लोगों को न्यायालय में पेश किया गया है।